न्यायालय श्रीमती अमृता चौधरी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व अपील संख्या : 10/2022 (ज़ीसीएमएस संख्या : 2022/29)

1. मदनलाल पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राजाराम पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. सुवालाल पुत्र श्री पेमाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत निमोडिया, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत निमोडिया, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर।
4. कमलेश पुत्र श्री गेन्दीलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. कमला पत्नी श्री रामरख, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
6. धन्ना पुत्री श्री भूरा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर।
7. प्रभूलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
8. शंकर पुत्र श्री बिरदीचन्द, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नया निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 12.05.2022 बमिसल संख्या 03/2022 उनवानी समस्त ग्रामवासी बनाम सरकार)

उपस्थितः–

1. श्री आर0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पाडेन्ट सं0 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. श्री शिवसिंह चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 28.02.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नया निमोडिया की आराजी खसरा नम्बर 479, 478, 476 की दक्षिणी सीमा के लगवा एवं खसरा नं0 475 में होकर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 की खातेदारी भूमि में से चालू रास्ते को गेट व तार लगाकर बन्द किया है, उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत सुखाचार को ध्यान में रखते हुऐ खुलवाये जाने के तहसीलदार, चाकसू ने आदेश दिऐ है अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 को उक्त रास्ता को बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को निर्देशित किया है कि उक्त रास्ते को 3 दिवस में मौके पर चालू करवाया जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें, उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय की अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री आर0पी0 शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा जारी किये जाने से पूर्व सुनवाई–साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया बल्कि प्रकरण दिनांक 10.05.2022 को दर्ज कर जरिऐ नोटिस तलब कर तारीख पैशी 12.05.2022 को नियत की गई। अपीलान्ट्स जब जरिऐ अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ तो रीडर श्री सीताराम मीणा द्वारा यह कहते हुऐ कि पीठासीन अधिकारी तहसीलदार, चाकसू जनसुनवाई में पधारे हैं, अतः पत्रावली 13.05.2022 को नियत की जाती है। दिनांक 13.05.2022 को उपस्थित होने पर आगामी तारीख पैशी 17.05.2022 नियत कर हमें प्रकरण में दिनांक 17.05.2022 नियत होना बताया परन्तु इसके पश्चात् बाला–बाला ही प्रकरण में पूर्व नियत दिनांक 12.05.2022 में ही तहसीलदार, चाकसू ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई–साक्ष्य का अवसर दिऐ अपीलान्ट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट् एवं अभिभाषक ने विरोध किया तो कहा गया कि हमने तो फैसला क़र दिया आप अपील करना चाहो तो अपील कर दो। ऐसी स्थिति में अपील करना जरूरी हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अधिकार क्षैत्र से बाहर निर्णय पारित किया गया है। प्रारम्भ में धारा 251 का प्रकरण सुनवाई हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकृत है, ग्राम पंचायत को शक्तियॉ प्रदत्त की हुई है, 45 दिन पश्चात् ही तहसीलदार को सुनवाई/निस्तारण का अधिकार है। विचारण प्रकरण में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रकरण को न रखा जाकर सीधे ही तहसीलदार, चाकसू

के समक्ष रखा जाकर निस्तारण किया गया है जो अधिकार विहीन आज्ञा तो है ही, तहसीलदार, चाकसू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया जाना भी जाहिर है। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को तो सुनवाई–साक्ष्य का अवसर नहीं ही दिया, प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्द मौका पर भी कोई गौर नहीं किया। पटवारी हल्का ने अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता दर्ज नहीं है, इस प्रकार रास्ता न होने के बावजूद अपीलान्ट्स को हैरान व परेशान कर बरबाद करने की नियत से राजनैतिक द्वैष भाव से फर्जी हस्ताक्षरों से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले निरस्त है। रेस्पोडेन्ट कमलेश वगैराह ने अधीनस्थ न्यायालय में बदनियतिपूर्वक धारा 251 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि कमलेश वगैराह के स्वयं के खाते की आराजी खसरा नं0 404 वाकै ग्राम नया निमोडिया में आने जाने हेतु रास्ता लेने बाबत् एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में प्रस्तुत कर रखा है जो कि आवेदन संख्या 54/2022 दर्ज होकर जैरकार है, यहॉ यह भी बताना आवश्यक है कि यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पूर्व से ही प्रस्तुत किया हुआ है। यदि आ0ख0नं0 475, 476, 478, 479, 500 में से रास्ता होता तो रेस्पोडेन्ट्स द्वारा रास्ता खुलवाने के साथ नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत नहीं किया जाता। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक का यह भी कथन है कि जब पीठासीन अधिकारी को उनके द्वारा की गई फर्जकारी के बारे में बताया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट्स को सन्तुष्ट करने का झूठा आश्वासन देकर प्रकरण में रिव्यू कर आदेश को बदलने की कार्यवाही की गई है तथा बाद की आदेशिका में रिव्यू का अंकन कर सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालयों में लम्बित वाद में स्टे आदेश रहने तक कार्यवाही को स्थगित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2022 आज भी निरन्तर प्रभावी है तथा मौका पाकर रेस्पोडेन्ट्स राजनैतिक दबाव के चलते तहसीलदार से मौके पर रास्ता मौजूद नहीं होने के बावजूद जबरन अपीलान्ट्स को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति में आज्ञा दिनांक 12.05.2022 निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2022 की सर्वप्रथम जानकारी 13.05.2022 को हुई जिसकी नकल 20.05.2022 को प्राप्त कर अपने वकील से सम्पर्क किया तो पहले तो कहा कि अपील पेश कर दूंगा परन्तु अपील पेश नहीं की तो दिनांक 03.07.2022 को सम्पर्क करने पर उनके द्वारा जयपुर अपील पेश करने से मना कर दिया ऐसी स्थिति में बिना किसी विलम्ब के अपील पेश की है जो अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 लगायत 8 के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 12.05.2022 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई–साक्ष्य का नोटिस/अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में जरिऐ अभिभाषक उपस्थित हुऐ है। यह कथन कतई झूठा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पिछली दिनांक में कोई निर्णय पारित किया गया हो बल्कि सही तथ्य तो यह है कि नियत दिनांक को अपीलान्स के अभिभाषक उपस्थित हुऐ है उनके द्वारा मौखिक बहस की गई है तत्पश्चात् ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। धारा 251 के अधिकार तहसीलदार को भी है, उनसे अधिकार विड्रो नहीं किये गऐ है। धारा 251 और धारा 251ए के प्रावधान अलग–अलग है। चालू रास्ते को बन्द किये जाने पर ही धारा 251 के अन्तर्गत सुखाचार हेतु रास्ता खुलवाया गया है। तहसीलदार, चाकसू ने रिव्यू–प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि पर न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं0 19 चाकसू जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 16.05.2022 के अनुसार स्थगन आदेश होने पर उक्त पत्रावली की कार्यवाही स्थगित की जाकर आगामी आदेश तक बन्द (स्टोप) की जाती है, की आज्ञा दी है, इस प्रकार आज्ञा दिनांक 12.05.2022 प्रभाव में न होने से अपील प्रार्थना–पत्र प्रभावहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान के अनुरूप पारित की गई है। उभय–पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। तहसीलदार में धारा 251 के अन्तर्गत निर्णय किये जाने की शक्तियां निहित है। न्यायसंगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 29.04.2022 को समस्त ग्रामवासी नया निमोडिया के नाम से तहसीलदार, चाकसू के समक्ष प्रार्थना–पत्र बाबत् 20 कूओं पर जाने वाले रास्ते को बन्द करने व उस आम रास्ते को खुलवाने के संबंध में पेश हुआ है। जिस पर पटवार हल्का की रिपोर्ट लेने के आदेश दिये गऐ है। पटवारी हल्का ने दिनांक 09.05.2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 251 में पत्रावली को दर्ज करने के आदेश दिऐ गऐ है और दिनांक 10.05.2022 को वादग्रस्त आराजी के खातेदारान को दिनांक 12.05.2022 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किऐ गऐ है, नोटिस तारीख पेशी में यह कहीं कोई

कथन अंकित नहीं किया गया है कि उनको किस प्रकरण में क्यों तलब किया गया है। इस तारीख पेशी को उनको क्या करना है। नोटिस के साथ कोई वाद की प्रति भी संलग्न नहीं किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम नियत दिनांक को ही अपीलान्ट्स के जरिऐ अभिभाषक उपस्थित होने पर मौखिक बहस सुनी के आधार पर निर्णय दिया जाना न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की कतई जांच नहीं की गई है कि आवेदकगण क्या पडोसी खातेदार काश्तकार है, इस संबंध में न तो पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है और न ही प्रार्थीगण से पडोसी खातेदार होने के प्रमाण स्वरूप जमाबंदी के कोई दस्तावेजी साक्ष्य लिये गये है। तहसीलदार के समक्ष जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है। वह समस्त ग्रामवासी के नाम से प्रस्तुत हुआ है जबकि धारा 251 काश्तकारी अधिनियम में केवल पडोसी खातेदार–काश्तकार को ही सुखाचार का अधिकार प्राप्त है। पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड में रास्ता नहीं होने की रिपोर्ट की है पटवारी हल्का ने मौके की जांच कर अंकित किया है कि आराजी खसरा नं0 479, 478, 476, 475 में से आराजी खसरा नं0 404 में जाने के लिऐ उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि कदीमी रास्ता जा रहा था पटवारी के कथन से जाहिर होता है कि उसके द्वारा मौके की जांच कर स्वयं का मंतव्य नहीं दिया गया है कि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता होना जाहिर होता है अथवा नहीं, ''उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया'' यह अंकित किया जाना न्याय–संगत नहीं ठहराया जा सकता है। मौके पर किसी के बयान नहीं लिये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा धारा 251 के अन्तर्गत दर्ज करने के आदेश दिये गऐ है जबकि प्रथमतः 45 दिवस तक धारा 251 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को प्रकरण प्रेषित किया जाना नियमानुसार आवश्यक था। इस प्रकार अधिकार विहीन आज्ञा पारित की गई है। दिनांक 16.05.2022 को रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना जाहिर है जिस पर उभय–पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश दिऐ गऐ परन्तु नोटिस जारी करने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुऐ है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया जाना जाहिर है। जिसमें दिनांक 16.05.2022 को अति0 सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्र0 सं0 19 जयपुर महानगर, चाकसू द्वारा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के आगामी आदेश तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिऐ गऐ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेक का उपयोग किये सिविल न्यायाधीश की आज्ञा दिनांक 16.05.2022 के अनुसार स्थगन आदेश होने पर उक्त पत्रावली की कार्यवाही स्थगित की जाकर आगामी आदेश तक बन्द की जाती है जबकि सिविल न्यायाधीश द्वारा आगामी आदेश तक केवल मात्र मौके की यथास्थिति

कायम रखने के आदेश दिऐ गऐ है। इस प्रकार रिव्यू प्रार्थना–पत्र में भी तथ्यों से परे आज्ञा पारित किया जाना जाहिर है।

उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2022 एवं 20.05.2022 बिना सुनवाई–साक्ष्य का अवसर दिऐ, तथ्यों से परे व सुनवाई की शक्तियां न होने के बावजूद पारित की गई है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः आज्ञा दिनांक 12.05.2022 एवं आज्ञा दिनांक 20.05.2022 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अमृता चौधरी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर